Distribution) Amendment Rules, 2003. [Placed in Library. *See* No. LT-55/04]

MOTION FOR ELECTION TO THE TEA BOARD

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI SURESH PACHAURI): Sir, on behalf of Shri Kamal Nath, I move the following Motion : -

> "That in pursuance of clause (f) of sub-section (3) of Section 4 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953) read with clause (b) of sub-rule (1) of Rule 4 and sub-rule (2) of Rule 5 of the Tea Rules, 1954, this House do proceed to elect in such manner as the Chairman may direct, one member from among the members of the House to be a member of the Tea Board in the vacancy caused by the retirement of Shri A. Vijayaraghavan from the membership of Rajya Sabha".

The question was put and the motion was adopted.

MOTION FOR ELECTION TO THE ADVISORY COUNCIL OF THE DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI GHULAM NABI AZAD) : Sir, I move the following Motion :-

> "That in pursuance of clause (h) of sub-section (2) read with sub-section (4) of Section 5 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), this House do proceed to elect in such manner as the Chairman may direct, one member from among the members of the House to be a member of the Advisory Council of the Delhi Development Authority."

The question was put and the motion was adopted.

श्री एस. एस. अहलुवालिया (झारखंड) : सभापति महोदय ।

श्री सभापति : एक मिनट, आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**... आप बैठ जाइए। पहले मैं अमेंडमेंट मूव कराऊंगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री एस. एस. अहलुवालिया : सभापति जी, ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय निरुपम (महाराष्ट्र) : सभापति महोदय, कृपया पहले विपक्ष के नेता को अपनी बात रखने दें। ...**(व्यवधान)**...

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS

MR. CHAIRMAN: There are 85 amendments to the motion which may be moved at this stage. Amendments No. 1 to 5, moved by Shri Rama Shanker Kaushik. ..*(Interruptions)*...

श्री रमा शंकर कौशिक (उत्तर प्रदेश) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि : ...**(व्यवधान)**...

(1) प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के 70 करोड़ किसानों के हित के लिए ठोस एवं समयबद्ध कार्यक्रम/उपायों का उल्लेख नहीं किया गया है।"

(2) प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नये रोजगार सृजन हेतु कोई संकल्पबद्ध कार्यक्रम का उल्लेख नहीं किया गया है।"

(3) प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लघु उद्योगों की बढ़ौतरी करने और उनके सामने आई परेशानियों को दूर करने हेतु किसी पैकेज का उल्लेख नहीं किया गया है।"

(4) प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर प्रदेश के साथ होते रहे भेद-भाव के कारण हुए पिछड़ेपन को खत्म करने के लिए किसी पैकेज का उल्लेख नहीं किया गया है।"

(5) प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को चलाये रखने की आवश्यकता के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"
...**(व्यवधान)**....